स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन

ई-अपशिष्ट प्रबंधन
E-Waste Management

इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत सही प्रबंधन करें

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-10

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई.मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

ई-अपशिष्ट
(Electronic Waste)

अपशिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर [Waste Electrical & Electronic Equiptment (WEEE)] जिन्हें उपयोग/उनकी कार्य क्षमता की समाप्ति के पश्चात् परित्यक्त (Discarded) किया जाना है, को **ई-अपशिष्ट** कहा जाता है। इसके अन्तर्गत निर्माण एवं मरम्मत प्रक्रिया के दौरान तथा उपयोग के पश्चात् अंतिम रूप से परित्यक्त किये जाने वाले सूचना तकनीकी और दूर-संचार तथा घरेलू उपस्कर यथा-पर्सनल कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन, प्रिंटर्स एवं कार्टरिज, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर-कंडीशनर आदि आते हैं।

सूचना तकनीकी तथा दूर-संचार के विकास एवं भौतिकवादी सुखों की लिप्सा के कारण आज के समाज में जनन हो रहे अपशिष्टों में ई-अपशिष्ट एक तीव्र गति से बढ़ने वाला अपशिष्ट प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 30 से 50 मिलियन टन ई-अपशिष्ट प्रतिवर्ष जनित हो रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षण से भारत में 2012 में लगभग 0.8 मिलियन टन ई-अपशिष्ट के जनन का अनुमान लगाया गया है।

ई-अपशिष्ट में कई प्रकार के खतरनाक एवं अखतरनाक पदार्थ होते हैं। इसमें लोहा एवं स्टील(लगभग 50%),प्लास्टिक (लगभग 21%), नॉन-फेरस धातु(लगभग 13%) एवं अन्य पदार्थ होते हैं। नॉन फेरस धातु के रूप में लेड(Pb), मरकरी(Hg),आर्सेनिक(As), कैडमियम(Cd), सेलेनियम(Se), क्रोमियम(Cr), कॉपर(Cu), अल्युमिनियम(Al) एवं मूल्यवान धातु यथा-सिल्वर(Ag), सोना(Au), प्लैटिनम(Pt) आदि होते हैं। **ई-अपशिष्ट में लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, क्रोमियम, फ्लेम, रिटारडेन्ट्स (Flame Retardants) की उपस्थिति के कारण इन्हें खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में रखा गया है।**

ई-अपशिष्ट को अविवेकशील एवं अवैज्ञानिक ढंग से भंजन कर मूल्यावन धातुओं के निकालने के दौरान अन्य संलग्न पदार्थों के निपटान करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे अपशिष्ट का सही प्रबंधन आवश्यक है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016
[The E-Waste (Management) Rules, 2016]

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में सन्निहित परिसंकटमय पदार्थों से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचने एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसके सही प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पुराने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2011 को अधिक्रमित करते हुए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 [The E-Waste (Management) Rules, 2016] अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली 01 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी है।

1. यह नियमावली ई-अपशिष्ट या अनुसूची-1 में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उनके घटकों, उपभोग्य वस्तुओं, स्पेयर्स-पार्ट्स, जो उत्पाद को कार्यरत बनाते हैं, सहित, के निर्माण, विक्रय, स्थानान्तरण, क्रय, संग्रहण, भंडारण तथा प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक निर्माणकर्त्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्र, वितरक, ई-खुदरा विक्रेता, नवीकरण करने वाला, भंजक और पुनःचक्रणकर्त्ता पर लागू होंगे।
2. इस नियमावली के तहत वैद्युत एवं इलेक्टॉनिक के निर्माता (Manufacturer), उत्पादक (Producer), संग्रहण केन्द्र (Collection Centre), नवीकरणकर्त्ता (Refurbisher), वितरक (Dealer), उपभोक्ता (consumer) एवं बड़े उपभोक्ताओं (Bulk Consumers), भंजक (Dismantler), पुनःचक्रणकर्त्ता (Recycler) तथा अन्य राज्य एव केन्द्र सरकार की **जिम्मेवारियां** (responsibilities)उल्लिखित की गयी है।

❖ निर्माता के उत्तरदायित्व:

1. वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के निर्माण के दौरान उत्पन्न किसी ई-अपशिष्ट के संग्रहण और उसके पुनःचक्रण या निपटान के लिए प्रणालित (Channelize) करना।
2. नियम-13(2) के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार (Authorization) प्राप्त करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।
4. ई-अपशिष्ट के जनन, हथालन एवं निपटान से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

❖ उत्पादक के उत्तरदायित्व:

1. विस्तारित उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility) के तहत अपने उत्पादों की कार्य क्षमता

की समाप्ति के पश्चात् अनुसूची-III में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ई-अपशिष्ट का संग्रहण, अपने सेवा केन्द्रों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट का भी संग्रहण का तथा प्राधिकृत भंजकों या पुन:चक्रकों के पास प्रेषित करना।

2. फलोरोसेंट और पारदधारी लैम्प के पुन:चक्रणकर्त्ता की अनुपलब्धता में इसे उपचार, भंडारण एवं निपटान व्यवस्था को प्रणालित करना।

3. अपने उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट को वापस प्राप्त करने हेतु संबंधित सूचना अपने वेबसाईट, दूरभाष, अन्य सूचना संपर्क माध्यम से एवं उपभोक्ता अथवा बड़े उपभोक्ता को उपलब्ध कराना ताकि उपयोग में लाये हुए वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लौटायी जा सके।

4. नियम-13(1) के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को आवेदन समर्पित करना।

5. ई-अपशिष्ट के जनन, हथालन एवं निपटान से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

6. ई-अपशिष्ट एवं इसके हथालन एवं प्रबंधन से जुड़े खतरों के बारे में जानकारी जन-साधारण को पोस्टर, विज्ञापन आदि से प्रदान करना।

❖ संग्रहण केन्द्रों का उत्तरदायित्व:

1. उत्पादक/भंजक/पुन:चक्रणकर्त्ता अथवा नवीकरणकर्त्ता के वास्ते ई-अपशिष्ट का संग्रहण करना।
2. संग्रहित ई-अपशिष्ट का यथास्थिति प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्त्ता को भेजने तक सुरक्षित तरीके से भंडारण करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।
4. ई-अपशिष्ट के हथालन से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा इसे आवश्यकतानुसार केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को समीक्षा हेतु प्रस्तुत करना।

❖ वितरक/खुदरा विक्रेता का उत्तरदायित्व:

1. यदि वितरक को उत्पादक के वास्ते ई-अपशिष्ट के संग्रहण करने का दायित्व दिया गया हो तो वितरक इसको जमा करने के लिए बॉक्स, बीन या निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध कराना तथा संग्रहित ई-अपशिष्ट उत्पादक द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्र/भंजक/पुन:चक्रणकर्त्ता को सुरक्षित भेजना।

2. वितरक/खुदरा विक्रेता ई-अपशिष्ट के जमाकर्त्ता को उत्पादक द्वारा स्थापित वापसी प्रणाली स्कीम के अनुसार धन राशि वापस करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।

❖ नवीकरणकर्त्ता का उत्तरदायित्व:

1. उपकरणों के नवीकरण की प्रक्रिया के दौरान जनित या उत्पन्न ई-अपशिष्ट का संग्रहण करना तथा संग्रहित ई-अपशिष्ट को संग्रहण केन्द्र के माध्यम से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्त्ता को प्रणालित करना।

2. नियम-13(4) के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार (Authorization) प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1(a) में आवेदन समर्पित करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के नवीकरण प्रक्रिया, भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।

4. ई-अपशिष्ट के हथालन से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

❖ उपभोक्ता एवं बड़े उपभोक्ता का उत्तरदायित्व:

1. अनुसूची-1 में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता, उत्पादक द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्र या वितरक अथवा निर्धारित वापसी प्रणाली के माध्यम से अपने द्वारा जनित ई-अपशिष्ट को प्राधिकृत भंजक या पुन:चक्रणकर्त्ता के पास प्रणालित करना।

2. ई-अपशिष्ट के हथालन से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

❖ भंजक के उत्तरदायित्व:

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुरूप भंजक सुवधिा एवं प्रक्रिया स्थापित करना।
2. नियम-13(3) के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार (Authorization) प्राप्त करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंजक प्रक्रिया, भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।

4. ई-अपशिष्ट से सामग्रियों की पुन: प्राप्ति हेतु पृथक्करण तथा इसे प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्त्ता को भेजना।

5. ई-अपशिष्ट के हथालन से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

❖ पुन: चक्रणकर्त्ता के उत्तरदायित्व:

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुरूप पुन:चक्रण सुवधा एवं प्रक्रिया स्थापित करना।

2. नियम-13(3) के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार (Authorization) प्राप्त करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के पुन:चक्रण प्रक्रिया, भंडारण तथा परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो।

4. ई-अपशिष्ट पुन:चक्रणकर्त्ता के दौरान जनित अवशेष को प्राधिकृत उपचार, भंडारण तथा निपटान व्यवस्था को प्रेषित करना।

5. ई-अपशिष्ट के हथालन से संबंधित अभिलेख फॉर्म-2 में रखना तथा संबंधित वार्षिक विवरणी फॉर्म-3 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रतिवर्ष 30 जून के पहले समर्पित करना।

❖ ई-अपशिष्ट के हथालन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया-**

(i) नियमावली के अनुसूची-1 में वर्णित वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक निर्माता, भंजक, नवीकरणकर्त्ता एवं पुन:चक्रणकर्त्ता राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन की जानी है।

(ii) उत्पादक द्वारा विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विहित प्रपत्र में आवेदन की जानी है।

(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् आवेदन की प्राप्ति पर ई-अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन के लिए समुचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमताएं एवं उपस्कर से संबंधित आवश्यक जांचोपरांत आवेदन की तिथि से 120 दिनों की अवधि के भीतर 5 वर्षो की/निर्धारित अवधि के लिए प्राधिकार निर्गत की जानी है।

2. **प्राधिकार को निलंबित या रद्द की शक्ति**- राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्राधिकार की शर्त्तों या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन न होने की स्थिति में आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जारी प्राधिकार के निलंबन या निरस्तीकरण कर सकती है।

3. **ई-अपशिष्ट का भंडारण**:- प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, बड़े उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्र, वितरक, नवीकरणकर्त्ता तथा पुन:चक्रणकर्त्ता को 180 दिनों से ज्यादा ई-अपशिष्ट का भंडारण नहीं करना है। ई-अपशिष्ट के पुन:चक्रण या पुन:उपयोग विकसित करने की दिशा में उक्त अवधि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा एक वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।

❖ राज्य सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों के उत्तरदायित्व:

1. उद्योग विभाग द्वारा राज्य के अंदर तैयार हो रहे औद्योगिक पार्क अथवा औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के भंजन और पुन:चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड निर्धारण अथवा आवंटन सुनिश्चित करना।

2. श्रम विभाग द्वारा भंजन तथा पुन:चक्रण में लगे कर्मचारियों को मान्यता देना और पंजीकरण तथा शामिल कर्मचारियों के लिए कौशल विकास सुनिश्चित करना।

3. इस नियमावली के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समेकित योजना तैयार करना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करना।

❖ शहरी स्थानीय निकाय (नगर समिति/नगर निगम) के उत्तरदायित्व:

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट में मिश्रित ई-अपशिष्ट का सही प्रकार से पृथक्करण, संग्रहण तथा इसे प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुन: चक्रणकर्त्ता को भेजना।

2. लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट संग्रहित कर अपशिष्ट उचित माध्यम से संग्रहण केन्द्र या भंजक अथवा पुन:चक्रणकर्त्ता को प्रेषित करना।

❖ दंडात्मक व्यवस्था:

इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा जो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दंडनीय है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मार्च, 2018 में प्रकाशित एवं
न्यू ग्राफिक प्रिंटस, पटना, मो.- 9334186311 द्वारा 1000 प्रतियाँ मुद्रित